केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 346 बुधवार 10 जुलाई 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बस्ती में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल विवि के लिये मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती मंडल मुख्यालय पर विवि स्थापना की पहल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान, विधायक अजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।

बस्ती मंडल मुख्यालय पर बस्ती जनपद की माटी मे जन्मे हिन्दी साहित्य के महान साहित्यकार, समीक्षक व निबंधकार महान विभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्मृति में एक विवि की स्थापना हो इसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। पत्र लिखकर विवि स्थापना की माँग पर विचार करने को कहा है।

सैनिक कल्याण बन्धु की बैठक में दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक का संचालन करते हुए प्र. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने सैनिको से संबंधित समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी सैनिको से एक–एक कर जानकारी ली तथा संबंधित को निस्तारण के निर्देश दिये। बैठक में पाया गया कि सैनिक कल्याण बोर्ड परिसर में संचालित दुकानों का किराया जमा नही किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्र. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को निर्देशित किया कि दुकानों का किराया एरिया के हिसाब से निर्धारित कराते हुए बकाया किराया जमा कराया जाय।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एएसपी ओम प्रकाश सिंह, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, सीएमओ डा. आर.एस. दुबे, प्र. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी रेखा गुप्ता सहित सैनिक कल्याण से संबंधित अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

उद्योगबंधु की बैठक में डीएम ने किया लम्बित मामलों की समीक्षा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुआ, जिसमें जनपद के औद्योगिक समस्याओं पर विचार–विमर्श के साथ–साथ योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।

उन्होने निवेशमित्र पोर्टल पर विभागवार लम्बित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने ऋण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण सहायता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, औद्योगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विचार की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 में हस्ताक्षरित एमओयू के विभागवार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। उन्होने बताया कि वर्तमान माह तक 292 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके है, जिसमें 14311.80 करोड़ का पूँजीनिवेश एवं 19615 का रोजगार प्रस्तावित है।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, आबकारी अधिकारी, महासचिव चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्ड0 एच0सी0शुक्ला एवं अध्यक्ष इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट एसोसीएशन अनिल सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

मास्को (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल' पुरस्कार से सम्मानित किया। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक्स पर लिखा, 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूं।' मालूम हो कि साल 1698 में यीशू के प्रथम प्रचारक और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में जार पीटर द ग्रेट की ओर से स्थापित 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल' रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।

इससे पहले पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से लंबी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने अपील की कि यूक्रेन के युद्ध में मासूमों की मौत बहुत ही पीड़ाजनक होती है। युद्ध भूमि से समाधान नहीं निकला करते हैं, इसलिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजे जाने चाहिए। मोदी ने भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान यह बात खुल कर कही। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के सुझावों की सराहना की। बैठक में दोनों देशों ने किफायती ऊर्जा, उर्वरक व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में भारत ने रूस में आतंकवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा की।

रूसी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में रूस– भारत संबंधों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझीदारी की सराहना की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल रूस और भारत के बीच व्यापार 66 प्रतिशत बढ़ा। 2024 की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत और बढ़ गया। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में निकटता से सहयोग करते हैं। इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठन शामिल हैं। उन्होंने मोदी से कहा, 'मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी ओर से दिए गए ध्यान की सराहना करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से यूक्रेन संकट को हल करने के तरीके खोजने के प्रयास भी शामिल हैं।'

बस्ती में धारा 163 लागू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2024 तक धारा 163 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि दिनॉक 17 जुलाई को मोहर्रम,

प्रभारी जिला सूचना अधिकारी ने संभाला कार्यभार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के आदेश के क्रम में प्रभारी जिला सूचना अधिकारी (आहरण–वितरण) अवधेन्द्र प्रताप वर्मा ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये वर्तमान में जिला सेवायोजन अधिकारी के रूप में तैनात है।

22 जुलाई से 02 अगस्त तक श्रावण मास/कावड़ मेला, 09 अगस्त को नागपंचमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन, 25 अगस्त को चेहल्लुम एवं 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है।

उन्होने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 163 के अधीन माह जुलाई व अगस्त के बीच में सम्भावित/पड़ने वाली विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय त्यौहारो/परीक्षाओं, सम्भावित धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण रोग निवारण हेतु प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है।

रेडक्रास सोसायटी पदाधिकारियों ने किया जिलाधिकारी का स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रेडक्रॉस सोसायटी सचिव सरदार कुलवेन्द्र सिंह के संयोजन में सोसायटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी रविश गुप्ता का रेड क्रॉस सोसायटी के पदाधिकारियों, सदस्यों ने पुष्पगुच्छ, शाल पहना कर स्वागत किया।

सचिव सरदार कुलवेन्द्र सिंह, ने रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जनपद में चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यो की विस्तार से जानकारी दी गई। कहा कि यदि बाढ की स्थिति आती है तो रेड क्रॉस द्वारा हर स्तर पर सहयोग किया जायेगा। बताया कि कोरोना के कठिन समय में रेड कास सोसायटी ने पूरी ताकत लगाकर पीड़ितों की सेवा किया। सेवा का कम निरन्तर जारी है।

रेड क्रॉस सोसायटी अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी रविश गुप्ता को पुष्पगुच्छ व शाल भेंटकर स्वागत करने वालों में डा. वी.के. वर्मा, काजी फरजान, विमल पाण्डेय, संतोष कुमार जायसवाल, हलीम भाई, रहमान भाई, सरदार रविन्द्र सिंह, सरदार बलजीत सिंह आदि सदस्य शामिल रहे।

डिजिटल हाजिरी का विरोध जारी, आदेश वापस लेने पर अड़े शिक्षक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ की हाजिरी डिजिटल माध्यम से लगाने के आदेश का विरोध शिक्षकों द्वारा मंगलवार को भी जारी रहा। शिक्षकों ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक अनुचर सभी का कहना है कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उन्हें पूरा किए बगैर डिजिटल हाजिरी अव्यवहारिक है। अतः जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक इस आदेश को वापस लिया जाए। शिक्षक नेता रवीश कुमार मिश्र और विवेक कान्त पाण्डेय ने बताया कि वेतन विसंगति, हाफ सीएल, राज्य कर्मियों की भांति ईएल, चिकित्सा सुविधा, समय से पदोन्नति, पुरानी पेंशन व्यवस्था, शिक्षामित्र और अनुदेशकों का नियमतीकरण, अनुचरों की पदोन्नति आदि मुद्दे प्रमुख हैं। इन मुद्दों के हल हुए बगैर ऑनलाइन उपस्थिति उचित नहीं है। विभागीय आंकड़े की माने तो सोमवार को जिले के 2076 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 8135 स्टाफ में से सिर्फ 70 लोगों ने डिजिटल माध्यम से हाजिरी लगाई थी। जो आंकड़ा एक प्रतिशत से भी कम रहा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने गत सोमवार से यह व्यवस्था लागू कराने के लिए बीएसए और बीईओ को निर्देश जारी किए थे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन का समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में सुबह 7रू45 से 8 बजे तक दर्ज करनी होगी। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि स्कूल के शिक्षक अब निर्धारित समय के 30 मिनट बाद तक उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, उन्हें देरी से पहुंचने का कारण बताना होगा।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में निकाला कैन्डिल मार्च,दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर बसपा नेताओं में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद बसपा नेता और कार्यकर्ता दोषियों को सजा–ए–मौत और के. आर्मस्ट्रांग के परिजनों को समुचित मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के सेन्ट्रल बैंक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुदरहा तक कैन्डिल मार्च निकालकर तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दिया। बसपा नेता गुरूदेव निगम और के.सी. मौर्य के नेतृत्व में निकाले गये कैन्डिल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। वे तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाये जाने की मांग कर रहे थे।

बसपा के पूर्व मण्डल प्रभारी के.पी. राठौर ने कहा कि बसपा के तमिलनाडु अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब 47 साल के आर्मस्ट्रांग पेरम्बूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास दोस्त से बातचीत कर रहे थे. तभी 3 बाइकों पर सवार होकर हत्यारे आए और उन्होंने आर्मस्ट्रांग पर हमला कर दिया। सभी हमलावरों के हाथ में चाकू और तलवार थी। सभी ने बसपा प्रदेश चीफ पर हमला कर दिया और दर्दनाक तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह बर्बरतापूर्ण हत्या दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही तमिलनाडु सरकार की विफलता का उदाहरण भी है। कहा कि आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बेहद खास थे। साल 2006 में उन्होंने वार्ड का चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वह काफी चर्चाओं में आए थे. । वर्ष 2011 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एमके स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चेन्नई में आर्मस्ट्रांग की पहचान दलित–पिछड़ों के हक में आवाज उठाने वाले एक नेता के तौर पर थी। मांग किया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाय। कैन्डिल मार्च में मुख्य रूप से राकेश कुमार, विनय अंबेडकर, अनूप कुमार, मनीराम बौद्ध, राजाराम, रामप्रसाद, हरिश्चंद्र ,शिवनाथ , रामकिशोर , पवन मालती राव, बंशीलाल, विजयनन्द, हरिश्चन्द्र, कृष्णकान्तमणि, योगेन्द्र प्रसाद, नागेन्द्र, योगेन्द्र प्रकाश, आदि शामिल रहे।

रायबरेली में शहीद की मां से मिले राहुल गांधी

रायबरेली (आभा)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। मंगलवार को वह करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचे और सबसे पहले चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन–पूजन किया और फिर धुपमऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से मिले। दोपहर को वह रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे और यहां पर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से ही वह खासे सक्रिय हैं।

इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों से मुलाकात के अलावा सियाचीन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद की मां ने राहुल की तारीफ की साथ ही अग्निवीर योजना की मुखालफत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं, उससे उम्मीद है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी।

बाढ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते रहें अधिकारी, शिकायतों का हो प्रभावी निस्तारण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक किया। उन्होने आईजीआरएस प्रकरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिदिन पोर्टल को देखा जाय। इसके साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण/समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होने यह भी कहा कि राजस्व प्रकरण में आवश्यकतानुसार फोटो के साथ आख्या अपलोड किया जाय।

बाढ़ की समीक्षा करते हुए उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारी वर्षा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारी निरन्तर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते रहें और एलर्ट मोड पर रहें। इसके साथ ही गोताखोरों को चिन्हित कर उनकी सूची बना ली जाय और नावों की भी व्यवस्था कर ली जाय। उन्होने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कावड़ यात्रा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर लें और ढीले तारों को टाइट कर दें, जिससे कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना होंने पाये।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर लिया जाय, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करेण्ट लगने जैसी समस्या उत्पन्न ना होने पाये। उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ के दृष्टिगत पशुओं के लिए भूसा, चारा की व्यवस्था समय से व्यवस्थित कर लिया जाय। बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम पतिपाल चौहान, सीआरओ संजीव ओझा, सीएमओ डा. आर.एस. दुबे, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, एएसपी ओम प्रकाश सिंह, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, पीडी राजेश झा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, उप जिलाधिकारी सदर शत्रुघ्न पाठक, भानपुर आशुतोष तिवारी, हर्रैया विनोद पाण्डेय, एआरटीओ पंकज कुमार, पीओ डूडा सुनिता सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मंगलवार को बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि कांदू और कसौधन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाय। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया कि वे तथ्यो की जांच कराकर प्रयास करेंगे कि जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार निर्गत कराये जाय।

–कांदू और कसौधन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र जारी कराने की मांग

बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जिलाध्यक्ष आनन्द राजपाल, महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ल, धर्मेन्द्र चौरसिया, सुनील कुमार गुप्ता ने डीएम को बताया कि लम्बे समय से बस्ती में कांदू और कसौधन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाने की मांग किया जा रहा है। अनेकों बार धरना प्रदर्शन किया गया किन्तु आश्वासन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बताया कि राज्य वर्ग पिछड़ा आयोग के क्रमांक संख्या 38 में कांदू एवं कसौधन जाति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में अंकित है। संशोधित सरकारी गजट 1997 को जारी किया गया। इस आधार पर अन्य जनपदों में कांदू और कसौधन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है किन्तु बस्ती में न जाने क्यों प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। मांग किया कि प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये समुचित दिशा निर्देश जारी कराया जाय।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से सतीश सोनकर, डा. अरविन्द चौधरी, अदालत प्रसाद, प्रभात सोनी, शेषनरायन गुप्ता, आशुतोष पाण्डेय, डब्बू श्रीवास्तव, नीरज कसौधन, संजय गुप्ता, आलोक शुक्ल, गौरव भारत आदि शामिल रहे।

बिजली, पानी, सड़क के सवालों को लेकर सरदार सेना ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सरदार सेना जिलाध्यक्ष विनय चौधरी के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि बरसात के मौसम में अनेक क्षेत्रों में बाधित विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बृजेश पटेल ने कहा कि जनपद में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। ट्रांसफारमरों के जल जाने की स्थिति में उसे बदला नहीं जा रहा है। शहरी क्षेत्र के निकटवर्ती कस्बों में भी विद्युत आपूर्ति बाधित है। बताया कि बड़े बन ब्रिज के निकट गड्ढा होने के कारण पानी भर जाता है जिससे असुविधा होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मूडघाट में बन्टी चौधरी के मकान के ठीक सामने से सत्यराम चौधरी के मकान तक सड़क जर्जर हो गयी है, नगर पालिका क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में वाटर सप्लाई की आपूर्ति लगभग 5 माह से बाधित है इससे लोग परेशान हैं। बस्ती शहर में नगर पालिका द्वारा शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की गई थी, अनेक स्थानों पर गंदगी का अम्बार लगा हुआ है।

सरदार सेना द्वारा दिये गये ज्ञापन में डमरूआ स्थित अन्यनय श्रीवास्तव के मकान से रणजीत सिंह के मकान तक पक्की सड़क बनवाये जाने और पटेल चौक पर आये दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ब्रिज बनवाने की मांग किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से दिनेश चौधरी, आकाश पटेल, सूरज, शिवेन्द्र प्रधान, शहजाद अंसारी, अभिषेक मौर्य, आरिफ अंसारी, कृष्ण कुमार चौधरी, चन्द्रशेखर चौधरी, प्रशान्त चौधरी, सत्य प्रकाश चौधरी, सन्तोष चौधरी, राजेश पटेल, दिनेश, आदि लोग शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 10 जुलाई 2024 बुधवार

सम्पादकीय

वोट की राजनीति

राजनीतिक दलों का पूरा प्रयास रहता है कि वोट बैंक एकजुट रहना चाहिए, इसके लिए बेशक तमाम कायदे–कानून और नैतिकता को ताक पर क्यों न रखना पड़े। इसका नया उदाहरण तमिलनाडु की डी.एम.के. की सरकार ने दिया है। वोट बैंक की खातिर मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार ने पिछले दिनों तमिलनाडु में अवैध जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को 10–10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा तक कर डाली। जनहित याचिका के जरिए यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि गैर–कानूनी काम करने वालों को इतना ज्यादा मुआवजा किस आधार पर देने का निर्णय लिया गया है।

अदालत ने कहा कि दुर्घटना के मामले में मुआवजा दिया जा सकता है किन्तु अवैध शराब से मौत के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि मजे के लिए अवैध शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देना उन्हें ऐसे गैर–कानूनी कामों के लिए प्रोत्साहित करना है। जहरीली शराब से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी या समाज सेवक नहीं थे, इन्होंने अपनी जान आम लोगों के भले के लिए नहीं दी, बल्कि अपने मजे लेने के कारण उनकी मौत हुई है। अदालत ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुर्नविचार करना चाहिए। आश्चर्य यह कि स्टालिन सरकार से गठजोड़ करने वाली कांग्रेस ने इस पर एक बार भी आपत्ति नहीं जताई।

तमिलनाडु विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ए.आई.ए.डी.एम.के. के सदस्यों ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड के मुद्दे को लेकर सवाल किए थे। इसके कारण पहले इन सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया था लेकिन अगले दिन हंगामे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उनको विधानसभा के पूरे सत्र से ही निलंबित कर दिया गया। स्टालिन सरकार की सहयोगी इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक कांग्रेस इस पर भी चुप्पी साधे रही। यह वही कांग्रेस है जिसने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद ठप्प करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। संसद की कार्रवाई में गतिरोध उत्पन्न करने के कारण विपक्षी दल के 140 सांसदों को निष्कासन झेलना पड़ा था। इस पर विपक्ष ने खूब शोर–शराबा मचाया था। निष्कासन को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया गया।

यह दोहरा मानदंड साबित करता है कि राजनीतिक दलों का स्वार्थ सिर्फ सत्ता तक सीमित है। राजनीतिक दल दिखावे के लिए ही लोगों की भलाई का दंभ भरते हैं। हकीकत यह है कि उन्हें वोट बैंक से मतलब है, इसके लिए बेशक किसी की जान जाए, खराब प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले या देश का नुकसान हो। सत्ता प्राप्ति के इस खेल में हर तरह का समझौता शामिल है, बस यह एहसास होना चाहिए कि वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। सत्ता के लिए ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। इसका दूसरा बड़ा और निर्लज्ज उदाहरण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान देखने को मिला था। मुख्यमंत्री अखिलेश की सरकार ने टाडा के आतंकियों से मुकदमा इसलिए वापस ले लिया कि इससे अल्पसंख्यकों के वोट को रिझाया जा सके। देश तोडने वाली इस हरकत पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को तो मानो सांप सूंघ गया था। सबकी नजरें अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर लगी हुई थीं।

राजनीतिक दल सरेआम इस तरह की देशद्रोही हरकत भी कर सकते हैं, बशर्ते सत्ता में आने के लिए वोट मिलने चाहिएं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था। सरेआम माफियाओं का बोलबाला था। दोनों ही दल माफियाओं को मंत्री तक बनाने में भी पीछे नहीं रहे। राजनीतिक दलों की माफियाओं से नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश फातिहा तक पढने चले गए। इसी तरह कुख्यात माफिया अतीक अहमद के पुलिस हिरासत के दौरान मारे जाने पर समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र खतरे में बताया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी अतीक की मौत का मातम मनाया था। सत्ता की महत्वाकांक्षा में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि अदालतों की फटकार और सरकार के फैसले निरस्त होने के बावजूद ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति जारी है। दरअसल क्षेत्रीय दलों को लगता है कि सस्ते और लोकप्रिय निर्णय लेकर सत्ता में बने रहा जा सकता है। इसी वजह से तमिलनाडु की सरकार ने गैर कानूनी काम करने से मरे मृतकों के आश्रितों को 10–10 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। मतदाताओं को विकास के जरिए आकर्षित करना आसान नहीं है। चेन्नई में हर साल बारिश से आम जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। जनहित की ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान तमिलनाडु सरकार के बूते से बाहर है। यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। बुनियादी आधारभूत जरूरतों की पूर्ति करने में अक्षम सरकारें अपना उल्लू सीधा करने के लिए आसान रास्ते तलाशती हैं।

साम्राज्यवादी पुलिस एक्ट रद्द हो

–विराग गुप्ता–

नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद पहला मामला कब और कहां दर्ज हुआ, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन और विरोधाभास हो गया। ये कानून 30 जून की रात 12 बजे के बाद यानी 1 जुलाई की तारीख से लागू हुए। रात 12.15 बजे पहला मामला एक स्ट्रीट वैंडर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज होने की ब्रेकिंग न्यूज मीडिया में प्रसारित होने से सरकार में खलबली मच गई। नए कानूनों के पीछे दंड की बजाय न्याय और छोटे मामलों में सामुदायिक सेवा से मुकद्दमों के निस्तारण का उद्देश्य बताया गया था। स्ट्रीट वैंडर के खिलाफ मामला दर्ज होने पर कानूनों को गरीब विरोधी नैरेटिव मिल सकता था। गृहमंत्री ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया।

शाह के अनुसार वैंडर के खिलाफ पुराने प्रावधानों के तहत दर्ज मामले को रिव्यू के प्रावधान का उपयोग करके पुलिस ने खारिज कर दिया। एफ..आई.आर. होने के 12 घंटे के भीतर उसे रद्द करना, पुलिस के अधिकारों और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। यह भी कहा जा रहा है कि पुराने कानून के तहत मामला गलत दर्ज होने पर क्या नए कानूनों के तहत मामले को दोबारा दर्ज नहीं करना चाहिए? सरकार के अनुसार साल 2020 में सभी आई.पी.एस., कलैक्टर, सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के जजों से नए कानून के बारे में सुझाव मांगे गए थे। गृह मंत्रालय की समिति में भी इन कानूनों पर 3 महीने तक गहन चर्चा हुई। गृहमंत्री ने इन कानूनों के बारे में 158 बार समीक्षा बैठक की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने औपचारिक तौर पर यह स्वीकारा है कि उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का अध्ययन नहीं किया।

देश की सर्वोच्च अदालत में अगर यह स्थिति है तो फिर दूर–दराज के थानों और अदालतों की हकीकत क्या होगी? सरकार ने नए टैलीकॉम कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया। संसद से पारित होने के बावजूद डाटा सुरक्षा कानून भी अभी लागू नहीं क्योंकि उसके नियमों को मंजूरी नहीं मिली। तो आनन–फानन में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी?

आई.पी.सी. में गलत एफ.आई.आर. – गृहमंत्री के अनुसार जिला अदालतों में 21 हजार जजों, 20 हजार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स और 22.5 लाख पुलिस कर्मियों को नए कानूनों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों से आ रही खबरें परेशान करने वाली हैं। गृहमंत्री के बयान से साफ है कि 1 जुलाई के बाद सभी मामलों में नए बी.एन.एस. के तहत पुलिस को एफ. .आई.आर. दर्ज करनी चाहिए लेकिन कई राज्यों में 30 जून या उसके पहले हुए अपराधों के मामलों में पुलिस ने पुरानी आई.पी.सी. के तहत एफ..आई.आर. दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में हरियाणा के पलवल में 20, जोधपुर में 32, तेलंगाना में 36 और तमिलनाडु में 5 मामलों में पुलिस ने आई.पी.सी. के तहत एफ..आई.आर. दर्ज की है।

दूसरे कई राज्यों में ऐसे अनेक मामले और सामने आ सकते हैं। ऐसे में 4 सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या 30 जून की रात 12 बजे के बाद पुरानी आई.पी.सी. के तहत दर्ज मामले अदालतों में मान्य होंगे? दूसरा, मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर क्या पुलिस खुद रिव्यू करके इन मामलों को रद्द कर सकती है? तीसरा, आई.पी.सी. के तहत दर्ज मामलों के रद्द होने के बाद नए बी. एन.एस. कानून में दर्ज मामले अदालतों में कैसे टिकेंगे? चौथा, दिल्ली में स्ट्रीट वैंडर के खिलाफ जिस तरह से एफ.आई.आर. रद्द हुई है, क्या देश के सभी हिस्सों में बेकसूरों के खिलाफ एफ..आई.आर. उतनी ही फुर्ती से रद्द होगी?

1 जुलाई के बाद सभी मामलों में बी.एन.एस. के नए कानून के तहत ही अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर पुराने कानून के तहत एफ.. आई.आर. दर्ज होती है तो फिर नए कानून के तहत उन मामलों की विवेचना पर अदालत में मामला कमजोर हो सकता है। बी.एन.एस. एस. और बी.एस.ए. पर भी सवाल – देश की अदालतों में 5.13 करोड़ मुकद्दमे लम्बित हैं जिनमें लगभग 3.59 करोड़ क्रिमिनल मामले हैं। इनमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां पुलिस को अदालतों में चार्जशीट अभी फाइल करनी है।

पुरानी आई.पी.सी. के तहत दर्ज हजारों मामलों में पुलिस को जांच–पड़ताल करके सबूत इकट्ठा कर चार्जशीट दायर करनी होगी। 1 जुलाई के बाद पुरानी (आई.पी.सी.) के तहत जो एफ..आई.आर. दर्ज हुई हैं, पुलिस के अनुसार उन मामलों की जांच बी.एन.एस.एस., (पुरानी सी.आर.पी.सी.) के तहत होगी। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। पुराने आई.पी.सी. कानून के तहत दर्ज मामलों में क्या पुरानी सी.आर.पी.सी. या फिर नई बी.एन.एस. के तहत पुलिस विवेचना करेगी? जिन मामलों में आधी विवेचना पुरानी सी.आर.पी.सी. के तहत हुई है तो क्या अब नए कानून के तहत विवेचना होगी? इस बारे में पुलिस के साथ वकीलों और जजों में बहुत कन्फ्यूजन है।

दो अलग–अलग कानूनों के तहत विवेचना करने पर पुलिस के ऊपर काम का बोझ बढने के साथ अदालतों में मामले कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह से पुरानी आई.पी.सी. के तहत दर्ज मामलों में नए कानून के तहत विवेचना होने पर क्या बी.एस.ए .के आधार पर डिजिटल तरीके से सबूतों को जुटाया जाएगा? क्या आधी विवेचना पुराने एविडैंस एक्ट के अनुसार और बकाया मामले में नए साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कानून सम्मत रहेगी? नए कानूनों के नोटिफाई होने के बाद पुराने कानून रिपील हो गए हैं। अपराध–शास्त्र के अनुसार नए कानूनों को पुराने अपराधों और पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। पुरानी सी.आर.पी.सी. के अनेक प्रावधानों में राज्य सरकारों ने संशोधन लागू किए थे जिन्हें नए कानूनों में शामिल नहीं किया गया। इसलिए राज्यों की विधानसभाओं को पुरानी कानूनी व्यवस्था के अनुसार नए कानूनों में बदलाव के लिए पहल करने की जरूरत है। अंग्रेजों के समय बनाए गए साम्राज्यवादी कानूनों पर जड़ से प्रहार करने के लिए केन्द्र सरकार को साल 1861 के पुलिस अधिनियम को जल्द बदलना होगा।(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)

सक्रिय जीवनशैली से खुलेंगे समृद्धि के द्वार

–सुरेश सेठ–

आजादी के 77 वर्षों के बाद भी भारत के लोग आज अपने लिए ऐसी उद्यम नीति की तलाश में हैं जो न केवल उन्हें सक्रिय रख सके बल्कि वे देश को विकास पथ पर ले जाने में भी अपने आप को सफल मान सकें। देश में उपलब्धि और सफलता के उत्सव होते रहते हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें तो उसमें बहुत–सी कमियां नजर आती हैं। बेकारी को दूर करने का संकल्प अनुकम्पा के उदार वितरण में नजर आता है। महंगाई का नियंत्रण एक ऐसा छद्म लगने लगता है जिसमें आंकड़े तो कहते हैं कि थोक ही नहीं बल्कि खुदरा सूचकांक भी नीचे गिर गया। खाद्य वस्तुओं की बाजार कीमतें आकाश छूती रहती हैं।

देश आश्वस्त हो चुका है कि वह दो–तीन साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। वर्ष 2047 को आजादी का शतकीय महोत्सव मनाते हुए हम भारत को फिर से वैश्विक ताकत कह सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस समय हम दुनिया में आर्थिक सामर्थ्य के लिहाज से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये तिलिस्मी बातें जिनकी चकाचौंध में हम अपने आप को दुनिया की किसी भी प्रमुख शक्ति से कम नहीं मानते। लेकिन जितनी उद्यमहीनता और दृष्टिविहीनता भारत के आम लोग महसूस करते हैं, उतनी शायद किसी भी अन्य देश में नहीं है। यह निष्कर्ष लैंसेट ग्लोबल हैल्थ जर्नल के एक अध्ययन में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन बताता है कि हमारे देश में 50 फीसदी लोग शारीरिक सक्रियता से भागते हैं। अगर यूं ही उद्यमहीनता और उदार रेवड़ियां बांटने का माहौल चलता रहा तो इस अध्ययन के अनुसार 2030 तक भारत में शारीरिक सक्रियता से भागने वालों का आंकड़ा 60 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है।

दुनिया में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है। भारत में कुपोषण और पर्याप्त रोजी–रोटी के अभाव में हम स्वास्थ्य के न्यूनतम मापदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है। लोगों के बीच एक ऐसी संस्कृति पनप रही है जो यह कहती है कि मुफ्त में जो हाथ लग सके, वही बेहतर है। जब बैंक खातों में बिना श्रम किए पैसे आ जाने के नेताई वादे हों तो भला लोग परिश्रम क्यों करें? किसी उद्यम नीति की तलाश क्यों करें? आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2000 में 22 फीसदी वयस्क शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे। 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 34 फीसदी हो गया और अब 50 फीसदी है। यह औसत महिलाओं में 57 फीसदी और पुरुषों में 42 फीसदी लोग सक्रिय नहीं हैं। सवाल उठता है कि महिलाएं तो घर को संभालती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उनको निष्क्रिय कहेंगे? नौजवान जवान होते ही बाप–दादा के साथ खेतों में या दुकानों में काम करने लगते हैं, क्या इनको निष्क्रिय कहेंगे? जी हां, जो मेहनत देश की सकल राष्ट्रीय आय में कोई योगदान नहीं देती उसे निष्क्रिय ही कहा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि अगर कोई वयस्क प्रति सप्ताह 150 मिनट की मध्यम या 75 मिनट की तीव्रता गति वाली शारीरिक गतिविधि नहीं करता, तो वह निष्क्रिय है। ऐसी इस युवा देश की आधी जनसंख्या है। इन आंकड़ों के बल पर सोचना कितना अजीब लगता है।

आंकड़े कहते हैं कि भारतीय महिलाओं की निष्क्रियता बंगलादेश, भूटान और नेपाल से भी निचले स्तर पर है। इस निष्क्रियता के चलते उनमें कई गंभीर बीमारियों का विस्तार होता जाता है। सरकार ने चाहे आयुष्मान योजना का लाभ पूरी आबादी तक कर दिया है लेकिन बीमारों का अनुभव है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल उन्हें दाखिल नहीं करते या उनकी परिचर्या नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि सरकार से उन्हें उचित समय पर भुगतान नहीं मिलता।

आंकड़े कहते हैं कि भारतीय महिलाओं की निष्क्रियता बंगलादेश, भूटान और नेपाल से भी निचले स्तर पर है। इस निष्क्रियता के चलते उनमें कई गंभीर बीमारियों का विस्तार होता जाता है। सरकार ने चाहे आयुष्मान योजना का लाभ पूरी आबादी तक कर दिया है लेकिन बीमारों का अनुभव है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल उन्हें दाखिल नहीं करते या उनकी परिचर्या नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि सरकार से उन्हें उचित समय पर भुगतान नहीं मिलता।

देश में तरक्की के दावों के साथ–साथ एक शार्टकट संस्कृति और कोरे उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिला है। शार्टकट संस्कृति में नीति, आदर्श और नैतिकता पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। ऐसी आरामदायक जीवनशैली जिसमें काम और मेहनत कम और आराम ज्यादा हो। लैंसेट के ये निष्कर्ष एक चेतावनी देते हैं, समाज के मार्गदर्शकों को, सत्ता के कर्णधारों को कि उदारवाद की नीतियों से, अनुकम्पा की बरसात से किसी भी देश के आत्मसम्मान या आत्मगौरव में वृद्धि नहीं होती। जरूरत इसमें सुधार की है।

आज मनरेगा की योजना को साल में सौ दिन से बढ़ाकर 200 दिन कर देने की बात तो चलती है लेकिन इस मनरेगा द्वारा कौन से लक्ष्य सिद्ध किए जाएंगे, निर्माण की कौन–सी मंजिलों तक पहुंचा जाएगा? आज भारत का युवा दिग्भ्रमित होकर देश से पलायन का रास्ता पकड़ता है। नशों के जाल में फंस जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में जिन देशों में सबसे अधिक मदिरापान होता है, उनमें से एक भारत भी है। यह सच काफी हैरान कर देने वाला है। इस समय जरूरत है जीवनशैली को बदल कर, जीवन आदर्शों के प्रति पुनरू समर्पित होकर एक नया समाज रचने की, जो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होगा और मंजिल के शार्टकट की तलाश में अंधी गलियों में भटक जाने की व्यथा में नहीं डोलता रहेगा।

–लेखक साहित्यकार हैं।

आत्मविश्वास ही उबारेगा जीवन

–डॉ. मोनिका शर्मा–

आप अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव चाहती हो। किसी रिश्ते की उलझन से परेशान हो। बच्चों की कामयाबी के सपने मन को बेचौन बनाए हुए हैं। जीवनसाथी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से निजात पाने का रास्ता ढूंढ रही हो या फिर खुद को भय और चिंताओं के घेरे से निकाल सुकून पाने का मन है। जीवन के जिस पड़ाव पर भी हो, जैसी भी समस्या से जूझ रही हो, जिंदगी से जुड़ी ऐसी चाहतों को पूरा करने का जादू किसी के पास नहीं। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन की जरूरतों की दशा और दिशा बदलकर सब कुछ सहज–सुंदर बनाने का माद्दा कोई नहीं रखता। इसीलिए सामाजिक जीवन में फैला अजब–गजब अंधविश्वास का जाल हो या आभासी दुनिया में तैरते आदर्श वाक्य। पल–पल दिखते आध्यात्मिक वचनों वाले वीडियो हों या किसी इंसान द्वारा सुझाये उपाय। आस्था के नाम पर कोई भटकाव मत पालो। जीवन से जूझने और हर विपरीत परिस्थिति से जीतने का जज्बा तो तुम्हारे भीतर ही है। यह कभी नहीं भूलना कि अंतर्मन की चेतना पर विश्वास कर आगे बढ़ते रहने से बड़ा सूत्र कोई नहीं।

आस्था के नाम पर सुध–बुध खो देने की स्थिति असल में भावनात्मक दोहन के अंतहीन सफर पर निकलने जैसा है। कभी देखा–देखी तो कभी श्रद्धा भाव के चलते, महिलाएं इस फेर में पड़ जाती हैं। यह सच है कि तकलीफदेह हालातों में सभी का मन कोई सहारा ढूंढता है। दुःख–दर्द में डूबा मन चमत्कार के नाम पर किसी शक्ति पर सहज ही विश्वास कर बैठता है। अव्यावहारिक–सी बातें भी दिल को तसल्ली देने लगती हैं। सच तो यह है कि यह भी एक छलावा ही है। इसीलिए अपने मनोभावों के इस बदलते पहलू को समझना आवश्यक है। किसी जादू की उम्मीद में अपने आप को ही भुला देने के इन हालातों में सचमुच संभलने की दरकार होती है। बहुत पीड़ादायी है कि सामाजिक परिवेश में विश्वास और आस्था के नाम पर बिछे इस जाल को समझने में अधिकतर महिलाएं बहुत देर कर देती हैं। जिसके चलते भावनात्मक शोषण का शिकार बनती हैं। दिशाहीनता का यह दंश जीवन को बहुत सी मनोवैज्ञानिक उलझनों के घेरे में ले आता है। अपने जीवन को संवारने की राह खुद को ही तलाशनी होती है। उम्र के हर पड़ाव पर मन–जीवन की बेहतरी का मार्ग ढूंढने की कोशिशें स्वयं ही करनी पड़ती हैं। अंतर्मन की चेतना पर विश्वास करना ही आगे बढ़ने, कुछ बेहतर करने की राह सुझाता है। किसी चमत्कारी शक्ति के बजाय आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने की सोच बल पाती है।

अपने ही चक्रव्यूह में

कितने निश्चिंत है लोग मेरी अंतहीन यात्रा के दंड पर
रोज–रोज आसमान धरती पर छा जाता है
चीखती हुई हवा पास से गुजर जाती है
और कुचल जाती हैं पगध्वनिया।
उन्हें यकीन नहीं होता मेरे उस युद्ध पर
जिसे निहत्थे अभिमन्यु की तरह लड़ रहा हूं मैं
अपने ही चक्रव्यूह में।
युद्ध की मर्यादा पहले तय नहीं की गयी
कि मृत्यु के बाद मुझे वीरगति मिले या मरण।
लोग शब्दों को चिड़िया के पंख या हथियार की तरह
अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं
और ओड़ी तिरछी रेखाओं की जगह
काला सांप पैदा कर देते हैं।

जिनके विष दंश की भाषा रेतीले पहाड़ छोड़ती है
मेरे चारो ओर और यह उत्सव की घड़ी होती है उनके लिए।
दोस्तों यह सब मेरे चुप रहने का नतीजा है कि
उनका पाखंड चमत्कार माना जाता है और
मेरा साहस विवशता में की गई आत्महत्या।
वही स्त्री का जिस्म आदमखोर की तरह झिंझोड़ते है
जबकि अपनी ही पत्नी से 2 मिनट एकांत में बात करना
मेरे चरित्र को कलंकित कर देता है।
अब जरूरत है शब्दों को हथियार बनाने की
और शर्त है कि उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए।

–हरीश पाल

सरकारी महिला अस्पताल में नर्सों ने बंदर के साथ बनाई रील, वीडियो वायरल होने के बाद 6 सस्पेंड

संवाददाता–बहराइच। सरकारी महिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान बंदर के बच्चे के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद छह महिला नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले की जांच शुरू कर दी है।

वीडियो में अस्पताल में एप्रन पहने कुछ नर्सें बंदर के बच्चे के साथ खेलती दिख रही हैं। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम. एम. त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पताल (महर्षि बालार्क चिकित्सालय) के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में स्टाफ नर्स अंजलि, किरन सिंह, आंचल शुक्ला, प्रिया रिचर्ड, पूनम पांडे और संध्या सिंह तैनात हैं।

उन्होंने बताया कि बीते दिनों इन महिला स्टाफ नर्सों का ड्यूटी के समय अस्पताल में बंदर के बच्चे से खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया।

वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने इन सभी को बीती पांच जुलाई को निलंबित कर दिया है। प्रधानाचार्य के आदेश पर डॉक्टरों की पांच सदस्यीय एक समिति प्रकरण की जांच कर रही है। सीएमएस ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक इन नर्सों से ना तो विभागीय या चिकित्सकीय कार्य लिया जाएगा और ना ही ये उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगी।

शिक्षक की गला रेत कर नृशंस हत्या

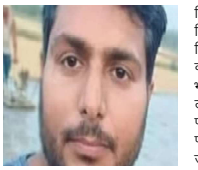

संवाददाता–बहराइच। कैसरगंज स्थित हुकुम सिंह इंटर कालेज के सहायक शिक्षक की सोमवार रात कातिलों ने उनके कोनारी गांव स्थित आवास से कुछ दूरी पर गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी। कातिल उनका शव दुग्ध डेयरी के पास फेंक फरार हो गए। परिजनों को इसकी जानकारी लगते ही कोहराम मच गया। वारदात से लोगों के दिल दहल गए हैं।

कैसरगंज थाने के कोनारी गांव निवासी 32 वर्षीय श्याम सिंह उर्फ शिवम सिंह कैसरगंज स्थित हुकुम सिंह इंटर कालेज में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। सोमवार रात भोजन करने के बाद वह घर से टहलने निकले थे। काफी देर होन पर जब वह घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने घर के किसी सदस्य को उन्हें बुलाने को भेजा। परिजन उनके रास्ते में किसी से बातचीत करने की वजह समझ रहे थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर दुग्ध डेयरी के पास उनकी गला रेती रक्त रंजित लाश पड़ी थी। यह जानकारी परिवार के अन्य परिजनों को लगी। रोते बिलखते लोग घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। सीओ कैसरगंज रूपेन्द्र कुमार गौड़, एसएचओ राजनाथ सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। हत्या की जानकारी एसपी व एएसपी सिटी को दी गई।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दम्पति घायल

संवाददाता–बहराइच। बहराइच–लखनऊ हाईवे के गोलवा घाट के पास सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दम्पति घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने एंबुलेंस मंगवाकर जिला अस्पताल भेज दिया। चिकित्सकों ने घायलों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। फखरपुर थाने के बुबकापुर के मजरे साईं पुरवा निवासी 24 वर्षीय सलीम पुत्र भोलू की शादी 15 दिन पूर्व रानीपुर थाने के हरिहरपुर निवासी झुर्रा की बेटी 20 वर्षीय परवीना के साथ हुई थी। शादी के बाद परवीना को मायके वाले विदा करा ले गए थे। सोमवार रात को सलीम पत्नी को मायके से बाइक से अपने गांव ला रहा था। देहात कोतवाली के बहराइच– लखनऊ हाईवे के गोलवा घाट के पास ट्रक ने बाइक मे टक्कर मार दी। जिससे दम्पति गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस मंगवाकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से श्रमिक की मौत

संवाददाता–बहराइच। बहराइच–लखनऊ हाईवे के परसेंडी चीनी मिल के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे श्रमिक को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सौंप दिया है।

फखरपुर थाने के मंझारा तौकली के मजरे बभनपुरवा निवासी 42 वर्षीय रामपाल पुत्र भीखूराम मंगलवार सुबह मजदूरी की तलाश में पैदल ही निकला था। जैसे ही वह परसेंडी चीनी मिल के पास पहुंचा। पीछे से तेज रफ्तार वाहन उसे रौंदता हुआ फरार हो गया। रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही एसएचओ अभिनव प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव की पहचान होते ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। रोते–बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दिया है।

सर्पदंश से 27 वर्षीय महिला की मौत

संवाददाता––बलरामपुर। पचपेड़वा के नरचहवा सैफ के मजरा सोहना में मंगलवार भोर लगभग चार बजे घर में सो रही 27 वर्षीय शीला देवी पत्नी दुर्गेश निषाद की सर्पदंश से मौत हो गई। सांप ने महिला के दाहिने हाथ की उंगली को अपने जबड़े में जकड़ लिया। चिल्लाने पर घर के लोग पहुंचे और लाठी से सांप को ऊपर वार किया। इसके बाद सांप ने महिला के हाथ की अंगुली छोड़ी। जिसके बाद लोगों ने सांप को तुरंत मार डाला। इसके बाद परिजनों ने महिला को सिद्धार्थ नगर जनपद के घुरवार में एक निजी चिकित्सक को दिखाया जहां पर चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन महिला को सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल ले गए जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला के पति दुर्गेश निषाद मुंबई में अपनी रोजी–रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता है। पति के आने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

अपने काम में लापरवाही न बरतें रेलकर्मी –अनूप

संवाददाता–गोण्डा। प्रवर मंडल परिचालन प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने गोंडा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं खामियां मिली वहां उन्होंने तत्काल सुधार का निर्देश जारी किया। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रवर मंडल परिचालन प्रबंधक मंगलवार को अचानक गोंडा स्टेशन पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने गाड़ियों के संचालन की स्थिति देखी। इसके साथ ही उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया कि ट्रेनों का संचालन संरक्षा नियमों के तहत ही होना चाहिए । इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों का संचालन करें । उन्होंने निर्देश जारी किया कि ट्रेन संचालन में जल्दबाजी और शॉर्टकट का रास्ता न अपनाए।

श्री महंत सत्य नारायण दास उर्फ पहाड़ी बाबा को संतो ने अर्पित की श्रद्धांजलि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर, विद्याकुंड के साकेतवासी श्रीमहंत सत्यनारायण दास उर्फ पहाड़ी बाबा को तृतीया पुण्यतिथि पर संतों ने त्रिदेव खड़ेश्वरी आश्रम विद्याकुंड में भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के संत–महंतों ने पूर्वाचार्य महंत के चित्रपट पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। संत–महंतों ने उनके कृतित्व–व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर साकेतवासी महंत के शिष्य महामंडलेश्वर महंत रामनारायण दास महाराज ने कहा कि उनके गुरुदेव अप्रतिम प्रतिभा के धनी संत रहे। जिन्हें लोग पहाड़ी बाबा के नाम से भी जानते थे। वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहे। उन्होंने आश्रम का सर्वांगीण विकास किया और उसका जीर्णोद्धार कराया। आजीवन मंदिर के उत्तरोत्तर विकास में लगे रहे। वह गौ और संत सेवी थे। सेवा को ही अपना धर्म माना। जीवन भर सेवा के कार्यों में लगे रहे। उनके निर्देशन में सेवा के कई कार्य संचालित हुए। उनमें से कुछ आज भी चल रहे हैं। मठ में गौ, संत, विद्यार्थी एवं आगंतुक सेवा सुचार रूप से चल रही हैं। आश्रम में सभी उत्सव, समैया व त्यौहार परंपरागत से मनाया जा रहा है। गुरूदेव हम लोगों के बीच में नही हैं। उस रिक्त स्थान की पूर्ति भविष्य में कभी नही की जा सकती है। उनकी यश और कीर्ति सदैव हम सबके साथ रहेगी। महामंडलेश्वर महंत रामनारायण दास ने पधारे हुए संत–महंतों का स्वागत–सम्मान किया।

इस मौके पर वेदमंदिर के जगतगुरु परमहंस आचार्य,महंत रामनरेश दास, श्रीरामकृष्ण मंदिर महंत गणेशानंद दास, सरयूकुंज महंत राममिलन शरण, महंत मुनि दास, महंत अजय दास, महंत संजय दास, पुजारी रमेश दास, महंत रामकृष्ण दास रामायणी, महंत रवींद्र दास, महंत पवन दास, महंत अवधकिशोर शरण, महंत रामलोचन शरण, महंत राममिलन दास, महंत उत्तम दास, विश्वाहुति भवन पुजारी विद्या भूषण, संतदास आदि संत–महंत और भक्तगण मौजूद रहे।

पांचवीं मोहर्रम से शुरू होगा जुलूस निकालने का सिलसिला

संवाददाता––बलरामपुर। उतरौला में जुलूस निकलने का सिलसिला शुक्रवार पांच मोहर्रम से शुरू हो जाएगा जो दसवीं मोहर्रम तक जारी रहेगा। इमामिया ट्रस्ट उतरौला के अध्यक्ष ऐमन रिजवी व सचिव सैयद नुसरत हुसैन ने बताया कि मोहर्रम की पांचवीं तारीख यानी शुक्रवार को पहला ताजिया जुलूस श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा के निकट स्थित स्वर्गीय मोहम्मद जमील के आवास से निकाला जाएगा। जुलूस की अगुवाई सैयद तवक्कल हुसैन, अनिल रिजवी, किशवर हुसैन, समीर रिजवी व अंसार हुसैन द्वारा किया जाएगा। इसमें भारी संख्या में अजादार शामिल होंगे। जुलूस से पूर्व एमजे एक्टिविटी स्कूल के प्रांगण में मजलिस का आयोजन किया जाएगा। यह जुलूस आसाम रोड चौराहा व नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम करीब सात बजे मोहल्ला सुभाष नगर में संपन्न होगा। शनिवार छह मोहर्रम को मोहल्ला रफी नगर स्थित मीर स्वर्गीय शौकत हुसैन इमामबाड़ा से जुलूस फातहे फुरात निकाला जाएगा जो गांधी पार्क होता हुआ कस्बा चौकी के बगल से होकर पटेल नगर में संपन्न होगा। सात मोहर्रम रविवार को मोहल्ला सुभाष नगर स्थित स्वर्गीय हाजी तुल्लन के इमाम बारगाह से जुलूस–ए–मेहदी निकाला जाएगा जो इमामबाड़े से निकलकर कस्बा चौकी होता हुआ मुख्य मार्ग से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए सुबह पांच बजे पुनरू उसी इमामबाड़े में पहुंचकर संपन्न होगा। सात मोहर्रम को ही दोपहर बाद अंजुमन हुसैनी अहले सुन्नत कमेटी की ओर से भी एक जुलूस निकाला जाएगा जो मोहल्ला पटेल नगर से निकलकर उतरौला के विभिन्न मोहल्लों में भ्रमण करता हुआ मोहल्ला आर्य नगर स्थित मूसे खान चबूतरा पर अलम को सलामी देकर वापस राजा उतरौला के इमामबाड़े में संपन्न होगा। इस जुलूस में उतरौला ग्रामीण व आसपास क्षेत्र के अनेक अंजुमन अलम व ढोल ताशों के साथ शामिल होते हैं। आठ मोहर्रम को मोहल्ला सुभाष नगर के बड़ा इमामबाड़ा से जुलूस ए अलम निकाल जाएगा। नौ मोहर्रम की रात मोहल्ला पटेल नगर के बड़ा इमामबाड़ा और स्वर्गीय यावर हुसैन के इमामबाड़ा में आग पर मातम किया जाएगा। दस मोहर्रम यानी आशूरा के दिन बुधवार को दोपहर बाद सुभाष नगर स्थित स्वर्गीय हाजी लल्लन के इमामबाड़ा से यौमे आशूरा का जुलूस निकाला जाएगा।

पिछले पांच दिनों ध्वस्त है जिले की बिजली व्यवस्था, लोग परेशान

संवाददाता––बलरामपुर। पिछले पांच दिनों से जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त है। सोमवार को रातभर आधे शहर की बिजली गुल रही। आधे शहर में हर 20 मिनट पर रात भर बिजली कटौती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का बुरा हाल है। लगभग 400 गांवों की बिजली पिछले पांच दिनों से गुल है।

सोमवार रात नगर क्षेत्र के गोविंदबाग, खलवा, नौशहरा, टेढ़ी बाजार, नहरबालागंज, चिकनी, गदुरहवा सहित आधे शहर की बिजली रातभर गुल रही। लोग सड़कों पर टहलकर रात बिताते रहे। अन्य मोहल्लों में बिजली की आवाजाही रात भर बरकार रही। भंडारखाना फीडर पर सुबह छह बजे बिजली कट गई। सुबह दस बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। इस दौरान सरकारी अथवा गैर सरकारी दफ्तर जाने वालों को दैनिक क्रिया में परेशानी उठानी पड़ी। पचपेड़वा, गैसड़ी, हर्रैया सतघरवा, महमूदनगर, शिवपुरा, श्रीदत्तगंज, रेहरा बाजार, गैंड्रास बुजुर्ग आदि फीडर पर लोगों को पिछले पांच दिनों से लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बाढ़ के कारण कई स्थानों पर बिजली पोल उखड़ गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती से लोगों को बुरा हाल है। करीब 400 गांव की बिजली बाढ़ व बरसात के चलते पिछले पांच दिनों से बाधित है। लोगों को उमस भरी गर्मी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण राजितराम, श्याम मनोहर, संचित, राम जियावन, निबरे, साकिर, मोहम्मद अली आदि ने बताया कि बिजली कर्मी शिकायत के बावजूद फाल्ट दूर करने में लापरवाही बरत रहे हैं। क्षेत्र में बाढ़ पानी घुसा होने से जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। बिजली न होने से रात के अंधेरे में लोगों को जागकर रात गुजारनी पड़ रही है।

ललिया थाना क्षेत्र के 50 गांव में बीते चार दिनों से बिजली आपूर्ति बदहाल है। आपूर्ति न मिलने से इन्वर्टर बैट्री डिस्चार्ज हो गया है। लोगों का मोबाइल चार्ज न होने से एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया है। क्षेत्र के भवनियापुर, मकुनहवा, इटेहिया, ललिया, मोतीपुर, मुरिहवा, मंगराकोहल, बल्देवनगर, दलपतपुर, अकबरपुर, मथुरा बाजार, बीरपुर, कैली, प्रानपुर, बहादुरगंज, करमैती, कपौवा, बजरडीह, सिटकिहवा, पहरूव्या, लखनीपुर, मुसैलिया व किला समेत लगभग 50 गांवों में चार दिनों से बिजली नहीं है। उपभोक्ताओं को बिजली न मिलने से अंधेरा में रहने को मजबूरी बन गई है। क्षेत्रवासी मंगरे, ओम प्रकाश, छोटकऊ, रमजान, श्रीनाथ, संतोष कुमार, संजय कुमार, राम कुमार, राधेश्याम, स्वामीनाथ, कामेश्वर नाथ, पप्पू, रामबचन, अरविंद कुमार आदि लोगों ने बताया कि पूरे तराई क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। जहरीले जीव–जंतु पानी में आकर ऊंची जगहों को देखकर घरों में छुप गये हैं, जिससे लोगों को जान जाने का खतरा बना हुआ है। बिजली विभाग बीते चार दिनों से आपूर्ति बहाल नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की लापरवाही से आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता बालकृष्ण ने बताया कि शीघ्र ही जांच कराकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई जायेगी।

रामनगरी में भक्तों के लिए प्रत्येक दिन होते हैं नित्य नए भंडारे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन अयोध्या में भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से होता आ रहा है इसी क्रम में दिल्ली से आए रामभक्तों ने मंगलवार को तीर्थ पुरोहित समाज के सहयोग से अयोध्याधाम में श्रद्धालुओं हेतु विशाल भंडारा किया। जहां उन्होंने क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने रामपथ पर स्टाल लगाकर श्रद्धालुओं को कढ़ी–चावल बांटा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु–भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिल्ली से बालकृष्ण, मनोज शर्मा और निखिल भारद्वाज नामक रामभक्त अयोध्याधाम पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पतित पावनी सरयू सलिला में पुण्य की डुबकी लगाई। श्रद्धा भाव के साथ दान–पुण्य किया। तदुपरांत श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान श्रीरामला सरकार के दरबार में मत्था टेका। उसके बाद सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, कनक भवन समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन–पूजन किया। फिर सुबह 11 बजे से स्टाल लगाकर श्रद्धालुओं एवं रामभक्तों को कढ़ी–चावल प्रसाद वितरित किया। प्रसाद वितरण का सिलसिला देरशाम तक चलता रहा।

पालिका के सभासदों व प्रकाश प्रभारी में मचा घमासान

संवाददाता–गोण्डा। पालिका गोण्डा में बिजली उपकरणों को निशाने पर रखते हुए सभासदों और प्रकाश व्यवस्था प्रभारी के बीच घमासान शुरु हो गया है। मंगलवार को करीब आधे दर्जन सभासदों की ओर से पालिका के ईओ को ज्ञापन सौपकर दो दशकों में यहां बिजली उपकरणों की खरीद के नाम 20–25 करोड़ रुपये के गोलमाल की जांच कराने की मांग की है। पत्राचार दोनो पक्षों की ओर से हुआ है।

प्रकाश व्यवस्था प्रभारी ने प्रशासक व सिटी मजिस्ट्रेट को दिए पत्र में चार सभासदों व अन्य को नामित किया है। इस पत्र में आरोप लगाया है कि टाउन हाल स्थित पालिका स्टोर से इन चार सभासदों व अन्य जबरन एलईडी फिटिंग 45 वाट 18 अदद व दस बंडल केबिल उठा ले गए। अपने पिछले पत्र में संशोधन करके एक नए सभासद का नाम जोड़ा है। बताया जा रहा है कि उस पत्र दूसरे सभासद का नाम अंकित कर दिया गया था। बताते हैं कि बोर्ड बैठक में बिजली अनुभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी की शिकायत का मामला थमा नहीं था। इसके दूसरे दिन टाउन हाल स्थित पालिका स्टोर से जबरन एलईडी और केबिल उठा ले जाने घटना हुई। नगर के 23 सभासदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र में बताया गया है कि बीते दो दशकों में 20–25 करोड़ की पालिका में बिजली उपकरणों की खरीद हुई है। अभी भी पचास लाख से अधिक के कबाड़ को चुपके से बेचा जा रहा है। उन्होने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

बाढ़ पानी में बहकर किशोर की मौत, प्रमुख मार्गों पर आवागमन ठप

संवाददाता––बलरामपुर। राप्ती नदी तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार अपरान्ह एक बजे कोड़री गांव से वापस लौटते समय बढ़ईपुरवा डिप के पास एक किशोर पानी में बह गया। एसडीआरएफ टीम ने करीब एक घंटे कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को ढूंढ निकाला। नदी के तटवर्ती 150 गांव पानी से घिरे हैं जबकि चार दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। सैकड़ों हेक्टेयर धान नर्सरी तबाह हो गई है। मवेशियों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। वर्षा रुकने से पहाड़ी नालों में पानी कम हुआ है। बलरामपुर–तुलसीपुर मार्ग बौद्ध परिपथ स्थित शारदा पब्लिक स्कूल के पास दो फीट से अधिक पानी चल रहा है। इस मार्ग पर दो पहिया वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई प्रमुख मार्गों पर बाढ़ के कारण आवागमन ठप है। सोमवार देर रात नदी पानी का तेज बहाव होने के कारण भ्यूरी धुसाह बांध कट गया जिससे धुसाह सहित मुख्यालय के श्याम बिहार कॉलोनी व पहलवारा मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी घुस गया। कमिश्नर व डीआईजी सहित प्रशासनिक अमला पूरी रात बांध को सही कराने में जुटा रहा।

ललिया थाना क्षेत्र के ग्राम झौहना के मजरे उपाध्यायपुरवा निवासी गन्ने का 14 वर्षीय पुत्र महेश आवश्यक कार्य से झौहना गया था। वापस लौटते समय दिन में करीब एक बजे बढ़ईपुरवा गांव के पास डिप पर तेज बहाव होने के कारण बाढ़ पानी में बह गया। किशोर के पानी में बहने की सूचना पर प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर भेजा। करीब एक घंटे कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को ढूंढ निकाला। राप्ती नदी के बाढ़ पानी से तीसरे दिन भी लगभग 150 गांव घिरे हुए हैं। चार दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मंगलवार को बलरामपुर–तुलसीपुर बौद्ध परिपथ स्थित शारदा पब्लिक स्कूल के पास दो फीट पानी बहने लगा जिससे इस मार्ग पर पुलिस टीम ने वैरिकेडिंग लगाकर दो पहिया वाहनों के आवागमन में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। गौरा तुलसीपुर मार्ग स्थित दतरंगवा डिप पर पानी का तेज बहाव शुरू होने से आवागमन बाधित है। इसी प्रकार हरिहरगंज–ललिया मार्ग पर दो दिनों से पानी का तेज बहाव होने के कारण इस मार्ग पर भी आवागमन बंद है। बाढ़ पानी का तेज बहाव होने के कारण मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित भ्यूरी धुसाह बांध कट गया। नदी का पानी तेजी से मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है। धुसाह गांव सहित नगर श्याम बिहार कालोनी व पहलवारा में लोगों के घरों में पानी भर गया है। मोहल्ला वासी अपने घरों का सामान छत व अन्य सुरक्षित स्थानों पर सोमवार को ही पहुंचा चुके हैं। जिनके घर एक मंजिल के हैं वे नगर होटल व लॉज में किराए पर रूम लेकर रहने को विवश हो गए हैं।

एक किशोरी समेत दो की बाढ़ के पानी में डूब कर मौत

संवाददाता–श्रावस्ती। धान की रोपाई करने जा रहे एक किशोरी व एक युवती बाढ़ के पानी से भरे नौखान में डूब गई। चार घंटे की तलाश के बाद दोनों का शव बरामद कर लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले में बाढ़ लोगों के लिए आफत बन गई है। दो दिन में चार लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र भिनगा के सेहनिया गांव निवासी शारजहां (20) पुत्री अकबर व जैनब (14) पुत्री मोहरम अली गांव की अन्य महिलाओं, किशोरियों व युवतियों के साथ गांव के ही राज कुमार आर्या के खेत में धान की रोपाई करने जा रहे थीं। खेत के बीच में स्थित नौखान पुरानी नदी का छोड़ा गया हिस्सा को पैदल ही पार करने लगी। इस दौरान उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और दोनों गहरे पानी में जाकर डूब कर लापता हो गई। साथ में रही महिलाओं ने गांव में जाकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों समेत काफी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने पानी में दोनों की तलाश शुरू की। करीब एक घंटे के बाद जैनब का शव बरामद कर लिया। करीब चार घंटे की मेहनत के बाद शारजहां का भी शव बरामद कर लिया। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि शारजहां व जैनब के साथ साफिया व सकीना पुत्री अकबर, कुसमा पुत्री मोहरम अली, रजिया पुत्री मंगरे, बुल्ली पुत्री जद्दू, बुधना पत्नी छेदन सहित कुल 13 लोग मजदूरी करने के लिए घर से निकली थी। बताया जाता है कि शारजहां व जैनब झुंड में सबसे आगे थी। नौखान के पास पहुंच कर दोनों पहले पानी में उतर गई और डूबने लगी। दोनों को डूबता देख अन्य महिलाओं व युवतियों ने अपने कदम रोक लिए और पानी में नहीं उतरी। लोगों का कहना है कि नौखान में बाढ़ का पानी अधिक था। यदि अन्य भी नौखान को पार करने की कोशिश करती तो उनके साथ भी यह हादसा हो सकता था। दोनों मृतकों की बहनें भी साथ में थी।

बाढ़ आने पर त्वरित हो बचाव कार्य, न हो जन धन की हानि– स्वतंत्र देव

संवाददाता–श्रावस्ती। मंत्री जल शक्ति स्वतन्त्र देव सिंह सोमवार देर रात लक्ष्मणपुर कोठी राप्ती बैराज स्थित निरीक्षण गृह में पहुंचे। इसके बाद श्रावस्ती, गोण्डा व बलरामपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बाढ़ की स्थिति व बचाव कार्य की समीक्षा की। वहीं मंगलवार सुबह बाढग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राप्ती बैराज पर पौधरोपण किया। बैठक में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ को देखते हुए बचाव कार्य में तेजी लाएं जिससे की जन और धन की हानि को रोका जा सके। इसके साथ ही पशुओं को चारे की कोई दिक्कत न होने पाए। पशुओं को बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों के बचाव हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण कराएं। मंत्री ने जिले में बाढ़ से बचाव के लिए कराये गये कटान रोधी कार्यों की समीक्षा की तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि बरसात का मौसम होने के कारण उन बांधों पर व्यापक निगरानी रखा जाय। बैठक में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि जन–जन को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। हर घर को नल से जोड़ कर पानी उपलब्ध कराएं। मंगलवार सुबह मंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरित किया। इसके साथ ही राप्ती बैराज पर पौधरोपण किया। इस अवसर पर विधायक रामफेरन पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा, सदस्य विधान परिषद डा प्रज्ञा त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया,एसडीएम जमुनहा एसके राय, अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खण्ड दिनेश कुमार तिवारी, अधिशासी अभियंता जल निगम एसएम असजद सहित श्रावस्ती, बलरामपुर एवं गोण्डा के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

दबे पांव टंकी पर चढ़कर सिपाहियों ने पीड़िता को नीचे उतारा, पांच घंटे तक टंकी पर चढ़ी रही

संवाददाता–गोण्डा। आयुक्त कार्यालय परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ी नाबालिग पीड़िता को आखिरकार पुलिस उतारने में सफल रही। पूरे पांच घंटे बाद पुलिस दबे पांव टंकी पर चढ़ी और पीड़िता को एक रस्सी में बांध कर सुरक्षित किया ताकि कूद न सके। इसके बाद समझाकर नीचे उतार लाई। पूरी कवायद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की सहमति से रणनीति के तहत किया। सुबह दस बजे पानी की टंकी पर चढ़ी नाबालिग पीड़िता को नीचे लाने की कोशिश कई बार हुई।

पुलिस उपाधीक्षक नगर सौरभ वर्मा व नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने माइक से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, नीचे उतरने की अपील किया लेकिन पीड़िता एक भी बात नहीं मानी। वह गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी कर सामने लाने की मांग पर अड़ी रही। पीड़िता की मां व रिश्तेदारों को भी मौके पर बुलाकर समझाया गया। मां ने खुद की कसम तक दी, फिर भी वह नीचे आने को तैयार नहीं हुई। महिला अधिवक्ता रूचि मोदी ने भी अपील किया कि न्याय होगा, नीचे उतर आये। इसके बाद पुलिस पीछे हट गई। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जाल व रस्सी के साथ पुलिस टीम चुपचाप बैठ गई। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी परिसर में एक अधिवक्ता के शेड में बैठ गये और पीड़िता के उतरने का इंतजार करने लगे। पीड़िता भी चार घंटे तक बिना पानी के बैठे होने से थक गई। वह भी टंकी पर ढ़ाई बजे के आसपास सुस्त होकर बैठ गई। इसके बाद पुलिस ने उसे नीचे लाने का मिशन शुरू किया। चुपचाप टंकी पर चढ़े और उसे सावधानी पूर्वक उतार लाये। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता को समझाया गया है, परिजनों के साथ उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया।

खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार डीसीएम, आग लगने से जिंदा जला ड्राइवर

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रयागराज हाइवे पर हुए भीषण हादसे में डीसीएम चालक जिंदा जल गया। ट्रक हाइवे पर खड़ा था। तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम पीछे से आकर तेजी से टकरा गई। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर पूरे हुसैन खान के पास सोमवार की देर रात खड़े ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम घुस गई। दुर्घटना के बाद डीसीएम और ट्रक में आग लग गई। हादसे में डीसीएम चालक जिंदा जल गया। पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रयागराज हाईवे पर पूरे हुसैन खान के पास पहले से ही पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बिरौली महमूदपुर निवासी संतोष शर्मा का ट्रक खड़ा था। इस बीच तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम पीछे से आकर तेजी से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई।

हादसे में डीसीएम चालक बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के परूवा निवासी रवि शंकर मिश्र गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाई और कड़ी मशक्कत से चालक को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

चोरी के आरोपी को एक वर्ष सात माह का कारावास

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में चोरी के एक आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने एक वर्ष सात माह 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। आरोपी कमरुद्दीन पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी कमरुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन मोहल्ला तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 में थाना कोतवाली में चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान सीजेएम अनिल कुमार एकादश की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष सात माह 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

स्कूली अनफिट वाहनों की होगी जांच

सवाददाता–सतकबारनगर। जिले के स्कूलों में लगे वाहनों के फिटनेस की जांच की जाएगी। इसके लिए 22 जुलाई तक उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर इन वाहनों के फिटनेस की जांच के साथ अधूरे कागज को ठीक करने का कार्य किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रियंबदा सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में जो भी अनफिट वाहन स्कूल में लगे हैं वे कार्यालय पर आकर सभी कागज को ठीक करा लें। उसके बाद वाहनों की स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र जारी करवा लें। इसके लिए हर दिन कार्यालय परिसर में वाहनों की जांच की जा रही है। यदि बिना फिटनेस के कोई भी स्कूली वाहन मिलेगा तो उसे सीज करने के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ता फोरम में भी आयोजित होगी लोक अदालत

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को होगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। लोक अदालत में उपभोक्ता फोरम के वाद भी निपटाए जाएंगे। इसी के दृष्टिगत उपभोक्ता फोरम के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह एवं जिला प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार सिंह के बीच बैठक हुई। बैठक में उपभोक्ता फोरम के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पक्षकारों को नोटिस तामिला कराई जा रही है। फोरम से संबंधित समस्त मामले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई लगाए जाएंगे। उन्होंने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करवाने के लिए आह्वान किया।

घर में फंदे से लटक कर युवक ने दे दी जान

संवाददाता–गोरखपुर। महावनखोर में पत्नी से विवाद के बाद 30 वर्षीय युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

महावनखोर निवासी 30 वर्षीय मोनू सैनी की मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। पत्नी कहीं चली गई तो उसने घर के अंदर छत की कुंडी से फंदा लगा लिया। जब तक घर वाले समझ पाते, उसके पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ऑटो चालक था। वह दो बेटे और एक बेटी का पिता था।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मुकदमा सं0
धारा 24 उ0प्र0रा0सं0 2006
अदालत– श्रीमान एस0डी0ओ0 बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
राधेश्याम
बनाम
ग्राम पंचायत आदि
1. अर्षद 2. समसाद 3. जुबेर पुत्रगण शकील 4. मु0 कैश पत्नी शकील 5. लतीफ 6. अ0 कयूम पुत्रगण शहबाज साकिनान सेमरा मुस्तहकम तप्पा चंवर तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 15–07–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 28 माह 06 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 200/2024
अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती महोदय जिला–बस्ती
कृष्णचन्द्र पाण्डेय
बनाम
दिलीप कुमार आदि
1. दिलीप कुमार पाण्डेय 2. राकेश कुमार पाण्डेय 3. अजय कुमार पाण्डेय 4. प्रमोद कुमार पाण्डेय पुत्रगण हरिश्चन्द्र पाण्डेय 5. हरिश्चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्रीनेवास साकिन फेरसम तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 22–07–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अपील सं0 718
धारा 11 (1) च0अधि0
अदालत– श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बस्ती जिला–बस्ती
उमा देवी
बनाम
रामबेलास आदि
1. राम वेलास पुत्र पाखण्डी 2. रहम कुमार 3. संग्राम 4. रहम कुमार पुत्रगण मनीराम 5. प्रदुम्मन कुमार पुत्र मनीराम 6. श्रीमती कमला देवी पत्नी मनीराम 7. रामयज्ञ पुत्र मंगरू 8. कन्हैया पुत्र झगरू 9. राज कुमार पुत्र मनीराम 10. राधेश्याम पुत्र मनीराम 11. चन्द्रभान पुत्र मनीराम 12. ग्राम पंचायत कलवारी मुस्तहकम साकिनान कलवारी मुस्तहक तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 10–07–2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 18 महीना 07 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान द्वादश अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 142/1998
चीनी आदि
बनाम
रामलखन आदि
1/1 अनिल कुमार उम्र 40 साल
1/2 आशीष कुमार उम्र 35 साल
1/3 सुनील कुमार उम्र 30 साल पुत्रगण रामलखन 1/4 श्रीमती शान्ती देवी उम्र 62 साल पत्नी रामलखन निवासीगण ग्राम बनतला तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 16–07–2024

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 16 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अपील सं0
अदालत– श्रीमान डी0डी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
बाबूराम आदि
बनाम
रामसूरत आदि
1. राम सूरत पुत्र राम अवध साकिन कलवारी मुस्तहक तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 10–07–2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 18 महीना 07 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 504/2020
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती महोदय जिला–बस्ती
श्रीमती गीता पाल
बनाम
राणा प्रताप पाल आदि
1. राणा प्रताप पाल पुत्र रामदत्त पाल ग्राम मथौली तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 2. नगर पंचायत बनकटी द्वारा अध्यक्ष 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बनकटी 4. घनश्याम पाल 5. सुनील पाल पुत्रगण विन्दा पाल 6. अम्बिका पाल 7. ओम प्रकाश पाल पुत्रगण रामलखन पाल 8. जय प्रकाश पाल 9. वेदप्रकाश पाल 10. श्रीप्रकाश पाल पुत्रगण चन्द्रिका पाल निवासीगण ग्राम मथौली तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 06–09–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 09 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

शोहरतगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, लगाई गईं नावें

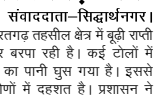

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती कहर बरपा रही है। कई टोलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासन ने राहत व बचाव के लिए दो नावें लगा दी हैं, जिससे लोग आवागमन कर रहे हैं।

बूढ़ी राप्ती के पानी से नकोलडीह, पन्नापुर, मार्यडीह, कमखोहना टोला में पानी भर गया है। ग्रामीणों का आवागमन रुक गया है। गांव में बाढ़ का पानी भरने की खबर के बाद तहसीलदार अजय कुमार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि प्रशासन राहत व बचाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इन क्षेत्र में आवागमन के लिए दो नावें लगा दी है। अब भी बूढ़ी राप्ती का पानी तेजी से बढ़ रहा है। टीकर गांव का पंचायत भवन व वहां के कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। नाव की सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने के बाद ग्रामीण गांव के बाहर निकल रहे हैं। उन्हें डर है कि बाढ़ का पानी और बढ़ा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

कार्यालय–नगर पालिका परिषद बस्ती

–सार्वजनिक सूचना–

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं नगर पालिका परिषद, बस्ती के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र सं0–1604 /न०पा०प०ब०/निविदा आमंत्रण/ 2024–25, दिनांक– 27 जून, 2024 द्वारा 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन प्राप्त अनटाइड ग्राण्ट की धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक– 12 जुलाई, 2024 को अपराहन – 02.00 बजे तक निविदा प्रपत्र की बिक्री एवं दिनांक– 12 जुलाई 2024 को अपराह्न – 02:00 बजे तक निविदा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं 04:00 बजे खोला जाना निर्धारित किया गया था, किन्तु उक्त तिथि को मा० बोर्ड की बैठक एवं अन्य कार्यों में मा० अध्यक्ष महोदया द्वारा व्यस्त रहने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथियों को संशोधित करते हुए दिनाक– 15.07.2024 को सायं 05:00 बजे तक निविदा प्रपत्रों की बिक्री एवं दिनांक– 16.07.2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती, उप जिलाधिकारी बस्ती तथा अपर जिलाधिकारी बस्ती के कार्यालय में मुहर बंद लिफाफा निविदा बॉक्स में डाला जायेगा एवं उसी दिन सायं 04:00 बजे जिलाधिकारी महोदय बस्ती द्वारा नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष जिलाधिकारी महोदय के सभागार में खोला जायेगा। निविदा हेतु नियत शेष नियम, प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

अधिशासी अधिकारी /
उप जिलाधिकारी (न्यायिक)
नगर पालिका परिषद बस्ती

पत्रांकः– 1791 C / न०पा०प०ब०/निविदा आमंत्रण/2024–25/ दिनांकः– 6.7.2024

कार्यालय ग्राम पंचायत बसडिलिया विकास खण्ड- सल्टौआ गोपालपुर, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बसडिलिया** विकासखंड **सल्टौआ गोपालपुर** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 10–07–2024 से दिनांक 15–07–2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **बसडिलिया** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 16–07–2024 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **बसडिलिया** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

इश्तियाक अहमद
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बसडिलिया
विकास खण्ड–सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती

शालिनी त्रिपाठी
सचिव
ग्राम पंचायत–बसडिलिया
विकास खण्ड–सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौआ खजुरी विकास खण्ड- सल्टौआ गोपालपुर, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मझौआ खजुरी** विकासखंड **सल्टौआ गोपालपुर** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024–25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाड़ू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूड़ादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 10–07–2024 से दिनांक 15–07–2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **मझौआ खजुरी** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 16–07–2024 को अपरान्ह 2:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1– अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2– जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3–आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5– ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6– घरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7– धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **मझौआ खजुरी** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9– आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10– सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11– सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12– आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढ़वत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14– निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15– निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16– निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

रामभारत
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–मझौआ खजुरी
विकास खण्ड–सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती

शालिनी त्रिपाठी
सचिव
ग्राम पंचायत–मझौआ खजुरी
विकास खण्ड–सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती

सवा लाख परिवारों को राहत, 2 वर्ष के बढ़े टैक्स से मिली छूट

संवाददाता–गोरखपुर। शहर के करीब सवा लाख परिवारों को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2021–22 से जीआईएस सर्वेक्षण आधारित बढ़ा हुआ टैक्स अब उन्हें जमा नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम से भेजी गई नोटिस को रद्द मान लिया जाएगा। अब इन परिवारों को वर्ष 2023–24 से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बुधवार को निगम बोर्ड की बैठक में भी इसे रखा जाएगा। नगर निगम के दायरे में पुराने 70 वार्डों में जीआईएस सर्वेक्षण के बाद टैक्स जमा करने को लेकर नोटिस भेजा गया था। नोटिस में उनका टैक्स 2021–22 से ही बढ़कर आ रहा था।

टैक्स भी 20 से 50 फीसदी तक बढ़ गया। इसे लेकर लोगों ने आपत्ति दाखिल की थी कि रिवाइज टैक्स वित्तीय वर्ष 2023–24 से लिया जाए। इस मुद्दे को बेतियाहता पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने भी उठाया। कार्यकारिणी में इस पर विचार के बाद बीते दो वर्ष से बढ़ा टैक्स न लेने पर सहमति बन गई। नगर निगम में शामिल 10 नए वार्डों में भी भवन स्वामियों को अब टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन वार्ड के भवन स्वामियों को निगम दो माह का समय देगा कि वे अपनी संपत्ति का ब्योरा नगर निगम को स्वयं उपलब्ध करा दें। इसी के आधार पर उनका कर निर्धारण हो जाएगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक में नगर निगम की दुकानों और भवनों के किराए का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि शासन के संज्ञान में आया है कि नगर निगम की दुकानों और भवनों का किराया और प्रीमियम बहुत कम है।

किराए की धनराशि लंबे समय से संशोधित नहीं की गई है। ऐसे दुकानों का किराया यूपी पीडब्ल्यूडी के नियमावली के अनुसार निर्माण वाले आकार के आधार पर तय करने पर स्वीकृति प्रदान की गई।

पुलिस ने तूरा नाले से युवक का शव बरामद किया

संवाददाता–गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के अगया गांव निवासी करन चौहान का शव पुलिस ने तीसरे दिन मंगलवार की सुबह महमूदाबाद उर्फ मोगलपुरा गोलकी टोला के पास नाले से बरामद किया है। करन चौहान रविवार को इसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर हैदरगंज अपने मामा के घर से अपने गांव अगया आ रहा था। रास्ते में जंगल अहमद अली शाह गांव के निकट तूरा नाले में कुछ बच्चों को देख वह भी नहाने लगा। ग्रामीणों के अनुसार नहाने के दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई थी। तभी से काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तीसरे दिन शव बरामद किया है।

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com